न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 6/19 सन् 2019

बउनवानी :– 1. गिर्राज पुत्र झबलू जाति माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. गोविन्द पुत्र झबलू जाति माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. बत्तीलाल पुत्र झबलू जाति माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गंगाबिशन जाति मीना निवासी अभयपुरा तह. बामनवास
2. तहसीलदार , तहसील गंगापुर सिटी
3. श्री विजेन्द्र मीना, उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण सख्या 183/13 अन्तर्गत 251(ए)आरटीए उनवानी रामस्वरूप बनाम गिर्राज अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थित : 1.श्री श्याम मोहन शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री चेतीराम मीना वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 8.7.2019

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में विचाराधीन प्रार्थना सख्या 183/2013 अन्तर्गत धारा 251(ए)आरटीएक्ट उनवानी रामस्वरूप बनाम गिर्राज वगै. के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)आरटीएक्ट के तहत पेश किया जिसपर पत्रावली बाद तलवी एवं जवाब उपरान्त सुनवायी हेतु चल रही है जिसमे आगामी तारीख पेश दिनांक 16.4.2019 नियत थी। प्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थीगण व पीठासीन अधिकारी महोदय एस.डी.ओ. गंगापुर सिटी उक्त प्रकरण को लेकर साज किए हुए है तथा अप्रार्थी संख्या एक कस्टम विभाग मे अधिकारी के पद पर कार्यरत है ओर वो जब भी आते है तो पीठासीन अधिकारी के घर व चैम्बर में बैठे रहते है। अप्रार्थी संख्या एक पीठासीन अधिकारी महोदय से साज कर उक्त प्रकरण को अपने प्रभाव से अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है। प्रार्थीगण को माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। यह तर्क भी दिया कि पत्रावली में पीठासीन अधिकारी महोदय लगातार एक दो दिन की तारीख दे रहे है तथा प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता श्री इन्द्रलाल गुप्ता से वकालात नामा प्रस्तुत कराया ओर उन्होने बहस को समय चाहा तो पीठासीन अधिकारी महोदय ने कानूनी प्रक्रिया को ताक मे रखकर समय तो दिया लेकिन 300/–रू कोस्ट लगाकर दिया जबकि प्रावधानों के तहत प्रथम बार वकालातनामा पेश होने पर कोस्ट लगाया जाना न्याय एवं नैतिकता के खिलाफ है। यह तर्क भी दिया कि रामस्वरूप ने माननीय सिविल न्यायालय क0ख0 गंगापुर सिटी के यहॉ रास्ता बाबत प्रकरण दीपक राज वगै. के खिलाफ कर रखा है जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 येनकेन प्रकरण अपने प्रकरण को साज कर वर्तमान पीठासीन अधिकारी महोदय से अपने पक्ष मे करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कतई सम्भावना नही है। अतः उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना सख्या 183/2013 अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीएक्ट उनवानी रामस्वरूप बनाम गिर्राज वगै. को अन्य किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब बहस मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में विचाराधीन है जो वर्तमान मे बहस हेतु नियत है।

डॉ0 ... सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण दिनांक 27.8.2013 को दायर हुआ है जिसमे विपक्षी की तामील होकर विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.12.2013 को जवाब पेश किया गया है तदुपरान्त उक्त पत्रावली मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु नियत रही है जिसमे मौका कमिश्नर द्वारा मौका देखा जाकर दिनांक 19.5.2014 को मौका रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पेश की जा चुकी है जिसपर गिर्राज के अधिवक्ता हर्षवर्धन जी द्वारा एतराज किया जाने पर पुनः मौका देखने के आदेश अदालत मातहत द्वारा दिये गये जिसपर पुनः मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 15.12.2017 को अदालत की पत्रावली मे पेश की जाने पर प्रार्थना पत्र बहस हेतु नियत रहा। उपजिला कलेक्टर न्यायालय गंगापुर सिटी द्वारा अप्रार्थी के अधिवक्ता को दिनांक 26.2.2018 को व दिनांक 4.1.2019 को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया व दिनांक 15.1.2019 व 18.3.2019 एवं 2.4.2019 को अप्रार्थी गिर्राज के अधिवक्ता को बहस हेतु पुनः समय दिया गया एवं दिनांक 5.4.2019 को 300/–रू कोस्ट पर बहस हेतु समय दिया गया। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण 2013 से विचाराधीन है जबकि ऐसी प्रकृति के प्रकरणो को 90 दिवस मे निस्तारण करना आवश्यक होता है। किन्तु उक्त प्रकरण का निस्तारण ना हो कानून माननीय न्यायालय में मुकदमे को उठाने हेतु गलत झूंठे तथ्यों के आधार पर श्रीमान के न्यायालय में मुकदमा स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पूर्णतय खिलाफ कानून व कायदा रूयेदाद होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है ।

उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो को निराधार व मनगढन्त बताते हुए अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 में अंकित सभी तथ्य गलत एवं बेबुनियाद बताते हुए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती हो। किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने बाबत लिखा है जिसके आधार पर वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण जो उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दिगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे जैरकार प्रार्थना सख्या 183/13 अन्तर्गत धारा 251(ए)आरटीएक्ट उनवानी रामस्वरूप बनाम गिर्राज वगै. को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है। उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मिसल को दिनांक 25.7.2019 से पूर्व आपके न्यायालय से स्थानान्तरित कर उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 25.7.2019 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:23:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: